न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1404–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–6–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नागदा जिला उज्जैन म0प्र0 प्रकरण कमांक 43/अपील/2014–15.

कांताबाई पत्नी श्री पुनीत कुमार गुप्ता
निवासी बर्धमान नगर विडलाग्राम, तहसील
नागदा जिला उज्जैन कृ.ग्रा. हतई तहसील
नागदा जिला उज्जैन मध्यप्रदेश

———आवेदक

विरूद्ध

राजेश पुत्र श्री रामअवतार मेहर
निवासी– गौतम नगर, भोपाल
जिला भोपाल मध्यप्रदेश

———अनावेदक

– – – – – –

श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 10 अगस्त 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी नागदा जिला उज्जैन के आदेश दिनांक 02–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने तहसीलदार नागदा के प्रकरण कमांक 6/अ–70/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 7–3–15 से

असंतुष्ट होकर अनुविभागीय अधिकारी नागदा के समक्ष प्रथम अपील पेश की तथा संहिता की धारा 52 के अर्न्तगत आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण के निराकरण तक स्थगन चाहा । अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 2—6—2015 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के कियान्वयन से आवेदक को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत नहीं होने से धारा 52 का आवेदन अस्वीकार किया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानीकर्ता अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदक ने तहसील न्यायालय में सीमांकन हेतु आवेदन दिया था जिसपर तहसीलदार ने आवेदक की अनुपस्थिति में सीमांकन किया तथा भूमि सर्वे कमांक 664/3 रकवा 0.600 हेक्टर में से उत्तरी मेड पर बीस कडी तथा पश्चिम मेड पर उत्तर की ओर 40 कडी तथा दक्षिण की ओर 70 कडी पर आवेदक का अवैध कब्जा होना माना। इसी आधार पर आवेदक के विरूद्ध धारा 250 का प्रकरण दर्ज किया जिसमें तहसीलदार ने आदेश दिनांक 07—03—2015 के द्वारा आवेदक को बेदखल करने के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक ने अपील पेश की तथा बेदखली की कार्यवाही को रोकने हेतु संहिता की धारा 52 का आवेदन पेश किया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने बिना विचार किये अस्वीकार करने में त्रुटि की है।

4/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदिका के विरूद्ध सीमांकन आदेश के पश्चात संहिता की धारा 250 की कार्यवाही संचालित हुई जिसपर तहसीलदार ने गुण—दोष पर आदेश पारित करते हुये आवेदिका को बेदखली की कार्यवाही करने के आदेश दिये। सीमांकन आदेश जिसके आधार पर धारा 250 की कार्यवाही की गई है उसके विरूद्ध आवेदिका द्वारा क्या कार्यवाही

की गई है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अनावेदक को नोटिस देने तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड बुलाने का आदेश दिया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा धारा 52 का आवेदन अस्वीकार करने में त्रुटि परिलक्षित नहीं होती। प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी अपील प्रकरण का उभय पक्षों को सुनकर गुण–दोषों के आधार पर तीन माह में प्रकरण का निराकरण करें। इसी निर्देश के साथ प्रकरण का समाप्त किया जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर